"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018 — माघ 5, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2018

आदेश

क्रमांक एफ-12-03/2014/20-3. — छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ट) के उपखंडों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है :-

1. उपखण्ड (एक) के अंतर्गत मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, जिनमें से कम से कम एक महिला :

क्र. (1)	नाम एवं पद (2)	पता (3)
1	श्री मोहनराव सांवत, प्राचार्य	प्रो.जे.एन. पाण्डेय, शा.उ.मा.वि., रायपुर
2	श्री प्रकाश यादव, प्राचार्य	सरस्वती शिशु मंदिर, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव
3	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, प्राचार्य	शा.उ.मा.वि., सारागांव, जिला रायपुर

2. उपखण्ड (दो) के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों के एक प्राचार्य :

क्र. (1)	नाम एवं पद (2)	पता (3)
1	श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य	माँ गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला बस्तर

3. उपखण्ड (तीन) के अंतर्गत मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छ: अध्यापक जिनमें कम से कम एक महिला :

क्र. (1)	नाम एवं पद (2)	पता (3)
1	श्री ओंकार सिंह, शिक्षक	शा.उ.मा.वि., परसागुड़ी राजपुर, जिला बलरामपुर
2	श्री कुशल प्रसाद कौशिक, व्याख्याता	विधि प्रकोष्ठ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर
3	श्री जगदीश सिंह मौर्य, व्याख्याता	शा.उ.मा.वि. लोहंडीगुड़ा, बस्तर
4	डॉ. भूपेन्द्रधर दीवान, व्याख्याता	शा.उ.मा.वि., बूढ़ीखार (मस्तूरी) जिला बिलासपुर
5	श्री उमेश पाणीग्राही, प्रधान अध्यापक	शा. पूर्व मा. शाला सुधापाल, जिला बस्तर
6	श्रीमती कविता कश्यप, व्याख्याता (पं.)	शा. कन्या उ.मा.वि., भानपुरी, वि.खं. एवं जिला बस्तर

4. उपखण्ड (चार) के अंतर्गत स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था चलाते हों :

क्र. (1)	नाम एवं पद (2)	पता (3)
1	श्री परसराम बोहरा, प्रबंधक	सर्वोदय विद्यालय प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर
2	श्री संजय जोशी, अध्यक्ष	शाला प्रबंध एवं विकास समिति शहीद स्मारक स्कूल, रायपुर
3	श्री कैलाश जैन, प्रबंधक	सरस्वती शिशु मंदिर सोनारपाल, वि.खं. व जिला बस्तर

5. उपखण्ड (पांच) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधानसभा के पाँच सदस्य :

क्र. (1)	नाम एवं पद (2)	पता (3)
1	श्री देवजी भाई पटेल, विधायक	वि.स. क्षेत्र-धरसींवा
2	श्री तोखन साहू, विधायक	वि.स. क्षेत्र-लोरमी
3	श्रीमती चंपादेवी पावले, विधायक	वि.स. क्षेत्र-भरतपुर सोनहत
4	श्री राजमहंत सावला राम डाहरे, विधायक	वि.स. क्षेत्र-अहिवारा
5	श्री भोजराज नाग, विधायक	वि.स. क्षेत्र-अंतागढ़

6. उपखण्ड (छः) के अंतर्गत ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो :

क्र.	नाम एवं पद	पता
(1)	(2)	(3)
1	श्री अरविंद सिंह ठाकुर (शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले)	आमापारा, धोबीपारा बजरंग मंदिर के पास, म. नं. 30/361, रायपुर
2	श्री अजब सिंह ठाकुर अवकाश प्राप्त अध्यापक	ग्राम पल्लीभाठा, पोस्ट तुरपुरा, जिला बस्तर

उपरोक्त नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 03 वर्ष की होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप भटनागर, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.